न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 83/2010

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

वादी		प्रतिवादीगण
श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा सा. बांगड़ नगर अन्दोरी देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर (राज0)	बनाम	1. छोगा पुत्र धन्ना 2. भंवरू पुत्र पुसा जातियान सभी-गुर्जर निवासीगण-खेड़ा (रास-11) तह0-जैतारण,(जिला-पाली) 3. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण जिला -पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू.29/07/2010

उपस्थित:- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनांकः- 13/01/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं व इस कम्पनी का एक सीमेन्ट का प्लांट भीमगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में कार्यरत व उत्पादनरत हैं। वादी कम्पनी की ओर से कम्पनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा को यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर वादी की कार्यवाही करने हेतु कम्पनी द्वारा वादी को अधिकृत कर रखा हैं। इस बाबत् कम्पनी के वाद प्रस्तुत करने का अधिकार पत्र की फोटो प्रति वाद के साथ पेश हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी का उक्त सीमेन्ट प्लोट बांगड़ सीमेन्ट रास के नाम का सरहद मौजा-भीमगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में कार्यरत व उत्पादनरत हैं इस सीमेन्ट प्लांट में आवागमन के लिए सड़क की आवश्यकता होने पर ब्यावर से मेड़ता जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 से कम्पनी के प्लांट के खेड़ा गेट तक सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर वादी द्वारा सरहद मौजा-भीमगढ़ में वाके आराजी खसरा नम्बर 2304 रकबा 3-01 बीघा किस्म सेवज दोयम में से 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार से जरिये लिखित पंजीबद्ध बेचान के भूमि के खातेदारी अधिकार वादी ने क्रय किये व 1/2 हिस्से की भूमि जो मौके पर बटी थी व वादी की खरीद सुदा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये आपसी सहमति से मौके पर भूमि का बंटवाड़ा कर वादी के हिस्से की भूमि में से सीमेन्ट प्लांट में से राष्ट्रीय राजमार्ग तक पक्की डामर सड़क का निर्माण किया, जो मौके पर चालु हैं व इससे कम्पनी के आवागमन के लिए मैटेरियल सीमेन्ट आदि का आवागमन हो रहा हैं व इस सड़क निर्माण बाबत् एक राजस्व वाद श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया गया। जो राजस्व वाद संख्या 121/2005 छोगा व अन्य बनाम श्री सीमेन्ट व अन्य का श्रीमान् के न्यायालय में चला, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण द्वारा फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे जो खेड़ा गेट के नाम से जाना जाता हैं से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 तक वादी का निजी खर्चे से पक्की डामर सड़क का रास्ता होना मंजूर किया, साथ में भूमि पर बटी हुई होना व यह सड़क वादी के हिस्से की भूमि पर होना भी प्रतिवादीगण द्वारा मंजूर किया गया व वादी द्वारा अपने हिस्से की खरीदी गई भूमि मौके पर बटी हुई होना व बेचान की जानकारी होना भी स्वीकार किया व इस बाबत् एक राजीनामा पेश कर राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाई सड़क व रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा मंजूर कर भविष्य में किसी प्रकर की बाधा, रूकावट आदि पैदा नहीं करने हेतु अपने आपको पाबन्द किया, उक्त राजीनामा दिनांक 07/02/2006 को एस.डी.एम. जैतारण द्वारा तस्दीक किया गया, उक्त राजीनामा व नजरी नक्शा की फोटो प्रति वाद के साथ पेश हैं, जिसे वाद का एक भाग माना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जावें। वाद के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2304 रकबा 3-01 बीघा किस्म सेवज दोयम में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं इस रूप में वादी का नाम जमाबन्दी खतौनी में दर्ज हैं। उक्त भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त राजस्व रेकर्ड की मौजूदा जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी के कब्जे में हैं। वादी के फैक्ट्री की सड़क बनी हुई जो चालु हैं व रास्ता हैं। वादी के हिस्से की भूमि का खाता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के साथ संयुक्त रूप से दर्ज हैं व लगान शामलाती हैं। नक्शा ट्रेश में भी वादी के हिस्से की भूमि का अलग से तरमीम होकर हिस्सा अलग से दर्शाया हुआ नहीं हैं। इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को मौके की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने, हिस्से अनुसार लगान बंटवाने व बंटवाड़ा अनुसार नक्शा में तरमीम करवाने का दिनांक 21/05/2010 को कहा, मगर प्रतिवादी ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादी की भूमि मौके पर बंटी हुई हैं, मगर राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामलाती दर्ज हैं व नक्शा में भी बंटवाड़ा अनुसार हिस्से अलग से तरमीम कर अलग-अलग नहीं दर्शाये गये हैं व लगान भी शामलाती हैं। इसलिए वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के, अपने हिस्से की भूमि का मौके पर बंटवाड़ा करवाने व वाद बंटवाड़ा नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी हैं। वादी के हिस्से की भूमि का अलग से खाता दर्ज करवाने व अलग से खसरा नम्बर दर्ज करवाने व हिस्से का लगान बंटवाने बाद तकासमा वादी का हिस्सा अलग से नक्शा में जरिये तरमीम अलग दर्ज करवाने का वादी अधिकारी हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कहने पर प्रतिवादीगण ऐसा करने से मना करने पर वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ तकासमा आराजी का वाद प्रस्तुत कर रहा हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामिल होने, नक्शा में तरमीम नहीं होने से प्रतिवादीगण मौके पर वादी के हिस्से की जमीन व उसमें निर्मित सड़क व सड़क के आवागमन में बाधा पैदा करने की दिनांक 21/05/2010 को एलानिया धमकी दी व कहा कि रास्ता रोक देंगे। वादी के कब्जे में दखलन्दाजी करेंगे। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने पर वादी उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देंगे। जिससे मौके पर टण्टा फसाद व लड़ाई-झगड़ा होगा व ऐसा होने की स्थिति में वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जो सकता। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 3 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि में लैण्ड होल्डर राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। बिनायवाद दिनांक 21/05/2010 को वादी द्वारा प्रतिवादी को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीमगढ़ (रास) में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वकील वादी ने वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा पक्षकारानों में किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से वकील श्री देवाराम कटारिया ने वकालतनामा पेश दिनांक 25/08/10 को किया, सा०मि० हैं। प्रति० सं० 1 की ओर से दिनांक 20/10/10 से वकालतनामा पेश करने हेतु लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी पेश करने में विफल हो जाने से अवसर समाप्त किया जाता हैं। इसी प्रकार प्रति० संख्या 2 को भी अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी जवाबदावा पेश नहीं करने से दिनांक 13/11/14 को जवाबदावा बन्द किया गया। प्रति० सं० 3 को बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 15/06/2011 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी श्री०डब्ल्यू०-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया तथा मुख्य परीक्षण पर दिनांक 03/12/2014 को प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी 2064-67 प्रदर्श Exp 1, नक्शा ऐस Exp 2 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये, सा०मि० हो। अन्य शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने से शहादत वादी बन्द की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा-भीमगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2304 रकबा 3-01 बीघा किस्म सेवज दोयम भूमि के अपने हिस्से के स्वयं खातेदार काश्तकार वर्तमान में दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शहादत वादी के शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजात Exp 1 से 2 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी उक्त विवादित आराजी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड अनुसार अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित आराजी की भूमि में वादी के हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से विवादित भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवाड़ा किया जना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-भीमगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2304 रकबा 3-01 बीघा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बॉउण्डस बँटवाड़ा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग कर नेखमबंदी /पत्थरगढ़ी करके खाता व लगान अलग-अलग करते हुए नजरी नक्शा बनाया जावें मौके पर पत्थरगढी/ नेखमबंदी करने हेतु आदेशित करके बंटवाडा/विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया गया। प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/14/1233 दिनांक 16/12/14 के जरिए वास्ते विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक /राजस्व/15/2278 दिनांक 05/01/2015 के जरिए पेश की, जिसे सा०मि० किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव/बंटवाडा रिपोर्ट पर सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/01/2015 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक पत्रांक/14/2193 दिनांक 18/12/2014 के संलग्न सम्पादित विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 की पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वकील वादी ने बंटवाड़ा को संपुष्ट कर उक्त बंटवाड़ा की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 02.01.2015 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाडा किया जाना एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव / बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-भीमगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2304 रकबा 3-01 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
बैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

किस्म सेवज दोयम भूमि में से ख.नं. 2304 रकवा 1=10 बीघा भूमि श्रीसीमेन्ट लि0 रास हेतु रेलवे लाईन के लिए अवाप्त हो जाने से अमल दरामद/तरमीम हो चुकी है लिहाजा 1=10 बीघा भूमि का बँटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	ख0नं0	रकवा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपडा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड़ नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	2304	0-15-00	से0दो0	0.58 रू0
2	छोगा वल्द धना 1/2 भंवरू पुत्र पूसा 1/2 कौम-गुर्जर सा0 ढ़ाणी खेड़ा खातेदार।	2304/2	0-16-00	से0दो0	0.58 रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला. पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 13/01/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला. पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

1. छोगा पुत्र धन्ना
2. भंवरू पुत्र पुसा
   जातियान संभी-गुर्जर
   निवासीगण-खेड़ा (रास-।।)
   तह0-जैतारण,(जिला-पाली)
3. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला -पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:83/2010

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव / बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीमगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2304 रकबा 3-01 बीघा किस्म सेवज दोयम भूमि में से ख.नं. 2304 रकबा 1=10 बीघा भूमि श्रीसीमेन्ट लि0 रास हेतु रेलवे लाईन के लिए अवाप्त हो जाने से अमल दरामद/ तरमीम हो चुकी है लिहाजा 1=10 बीघा भूमि का बँटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपडा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड़ नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	2304	0-15-00	से0दो0	0.58 रू0
2	छोगा वल्द धना 1/2 भंवरू पुत्र पूसा 1/2 कौम-गुर्जर सा0 ढ़ाणी खेड़ा खातेदार।	2304/2	0-16-00	से0दो0	0.58 रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/01/2015 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत (न्यायालय हाजा) में जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	२	००	स्टाम्प वकालतनामा	१	००
स्टाम्प वकालतनामा	१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	२	००	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	२	००	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	७	००	मिजानः-	१	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner